Eligibility

- The Account May Be Opened By One Of The Guardian In The Name Of A Girl Child Who Has Not Attained The Age Of Ten Years
- Both Guardian And Girl Child Shall Be Resident Citizen Of India At The Time Of Opening Of Account
- Every Beneficiary (girl) Can Have Single Account
- Account Can Be Opened For Maximum Two Girl Children In One Family
- More Than Two Accounts May Be Opened In A Family If Such Children
- Are Born In The First Or In The Second Order Of Birth Or In Both, On
- Submission Of An Affidavit By The Guarding Supported With Birth
- Certificates Of The Twins/triplets Regarding The Birth Of Such Multiple
- Girl Children In The First Two Orders Of Birth In A Family
- Nris Are Not Eligible To Open These Accounts
- Interest Will Be Compounded Yearly At The Rate Notified By Govt. Of India On Quarterly Basis
- No Interest Will Be Payable Once The Account Completes 21 Years From The Date Of Opening

TENURE

- Deposit till the completion of 15 years form the date of opening of account
- The account shall mature on completion for a period of 21 years from the date of its opening

PARTIAL WITHDRAWAL

 Maximum of fifty per cent of the amount in the account of preceding the year for education

MATURITY

 Completion of a period of 21 years from the date of its opening

Investment

Rs. 1,50,000

Per Financial Tear

Rs. 250 to

 The closure of the account may also be permitted before completion of 21 years for reason of marriage

TAX BENEFIT

- Under section 8D© for Investments made during the financial year
- · Exempt at the financial year
- Exempt at the time of Investment
- Exemption on accrued Interest
- Exemption on maturity amount

Important Information

- All BOI branches are authorized to open SSA Accounts
- Birth certificate of the girl child is mandatory along with the identity & address proof of guardian
- PAN of the guardian is compulsory
- Nomination is compulsory
- Nomination can be made for one or more persons but not exceeding four Individuals





पात्रता

- * यह खाता एक अभिभावक द्वारा उस बालिका के नाम से खोला जा सकता है, जिसने दस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है
- * खाता खोलने के समय अभिभावक और बालिका दोनों भारत के निवासी नागरिक होंगे
- * प्रत्येक लाभार्थी (बालिका) का एकल खाता ही हो सकता है
- * एक परिवार में अधिकतम दो बालिकाओं के लिए खाता खोला जा सकता है
- * जुड़वाँ /ट्रिपल बच्चे होने पर दो से अधिक बालिकाओं का खाता खुल सकता है इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।
- * अप्रवासी भारतीय (NRI) इन खातों को खोलने के लिए पात्र नहीं है
- * भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाएगा त्रैमासिक आधार पर।
- * खाता खोलने की तारीख से 21 साल पूरे होने पर कोई ब्याज देय नहीं होगा

महत्वपूर्ण सूचना

- * सभी बीओआई शाखाएं एसएसए खाते खोलने के लिए अधिकृत हैं
- * अभिभावक के पहचान और पते के प्रमाण के साथ बालिका का जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है
- * अभिभावक का पैन अनिवार्य है नामांकन अनिवार्य है
- * नामांकन एक या एक से अधिक व्यक्तियों के लिए किया जा सकता है लेकिन चार व्यक्तियों से अधिक नहीं

परिपक्वता

- * खाता खुलने की तारीख से २१ वर्ष की उम्र पूर्ण होने पर।
- * खाता धारक बालिका के विवाह होने की स्थिति में २१ वर्ष की अवधी पूरी ना होने पर भी खाता बंद कर पूर्ण आहरण मान्य है।

आंशिक निकासी

* शिक्षा के लिए पिछले वर्ष के खाते में राशि का अधिकतम पचास प्रतिशत

कार्यकाल

- * खाता खोलने की तिथि से 15 वर्ष पूरे होने तक जमा करें
- * खाता खुलने की तारीख से 21 वर्ष की अविध के लिए पूरा होने पर परिपक्व होगा

टैक्स लाभ

वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए निवेश के लिए धारा 8डी (सी) के तहत

- * वित्तीय वर्ष में छूट
- * निवेश के समय छूट
- अर्जित ब्याज पर छूट
- परिपक्वता राशि पर छूट

Investment
Rs. 250 to
Rs. 1,50,000
Per Financial Year

T&C.. Apply

Bank of India

Relationship beyond banking